कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक 1118 /ओबरा/15भू0ह0 दिनांक–29-10-2020.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय– रिलायन्स 4 जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901हे0 आरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या–1675/81–2–2020–800(161)/2017 दिनांक– 31.08.2020 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–464/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/अदर्स/24318/2017 दिनांक– 01.09.2020, इस कार्यालय के पत्रांक–683/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–14.09.2020 तथा प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0, रोहतास के टेरिडेन्ट सेकेण्ड फ्लोर, 10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–आर0जे0आई0एल0 /ओ0एफ0सी0/एन0एल0डी0/ई0ए0एस0टी0/यू0पी0/ओबरा–सोनभद्र/फारेस्ट/12 दिनांक–28.09.2020

महोदय,

अवगत कराना है कि रिलायन्स 4 जी परियोजना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901हे0 आरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उचित माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या––2205/14–2–2018–800(161)/2017 दिनांक–29.08.2019 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–11–9/1998–एफ0सी0 दिनांक–07.09.2015 में विहित व्यवस्थानुसार स्पष्ट संस्तुति तथा से प्रकरण में प्रभावित वन भूमि कितने वर्षो के लिए लीज पर लिया जाना है, के सम्बन्ध में सूचना मांगते हुए आपत्ति लगायी गयी है, जिसके कम में इस कार्यालय के पत्रांक–683/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–14.09.2020 द्वारा प्रस्तावक विभाग से अनुरोध किया गया। प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक–28.09.2020 से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। उक्त के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–11–9/1998–एफ0सी0 दिनांक–07.09.2015 द्वारा आटिकल फाईबर बिछाने हेतु सामान्य स्वीकृति दी गयी है तथा आप्टिकल फाईबर बिछाने की अनुमति देने हेतु उ0प्र0 शासन को अधिकृत किया गया है।

अतः विषयक प्रकरण में लीज से सम्बन्धित प्रमाण पत्र चार प्रतियों में संलग्न कर, रिलायंस 4 जी परियोना हेतु ओबरा वन प्रभाग की कुल 0.2901हे0 आरिक्षत वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के भूमिगत आप्टिकल फाइवर केबिल (ओ0एफ0सी0) बिछाये जाने हेतु वर्तमान में विद्यमान नियमों/आदेशो के तहत सक्षम स्तर से अनुमति जारी करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रखर मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

O/C

Scanned with CamScanner

लीज अवधि वचनवद्धता – प्रमाण पत्र

आनलाईन प्रस्ताव संख्या –

FP/UP/Others/24318/2017 दिनांक 05.04.2017

रिलाइन्स 4जी परियोजना हेतु जनपद ओबरा–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में राज्यमार्ग संख्या – 5 (वाराणसी – शक्तिनगर मार्ग) के कि.मी. 87.00 से कि.मी. 115.00, तक कुल कि.मी. 28.00 एवं 0.2901 हे0 आरक्षित वन भूमि पर आप्टिकल फाईबर केबिल (ओ0एफ0सी0) डालने हेतु वांछित भूमि 30 साल की लीज पर हस्तान्तरित किये जाने की आवश्यकता है। प्रश्नगत 0.2901 हे0 आरक्षित वन भूमि मार्ग के किनारे है, उसके गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति की आवश्यकता है।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा–सोनभद्र

कृते रिलायंस जियो इन्फोकाम लि0
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
लखनऊ

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

Scanned with CamScanner